

Entrance Exam 2024-25
Eklavya
Model Residential School
Saunaha, Chandan Chowki, Lakhimpur - Kheri

INFORMATION BROCHURE CUM APPLICATION FORM



विवरणिका सह आवेदन पत्र निःशुल्क

अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान हेतु
जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली
एवं
निदेशालय जनजाति विकास उ०प्र० लखनऊ द्वारा संचालित

परिचय

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के भौक्षिक उत्थान हेतु जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली एवं जनजाति विकास उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विद्यालय संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है विद्यालय भवन निर्माण के पश्चात् शिक्षा सत्र 2009-10 से विद्यालय का संचालन नवोदय विद्यालय की भौति प्रारम्भ किया गया।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सौनहा, लखीमपुर-खीरी में प्रवेश विद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कक्षा-6 में किया जाता है विद्यालय में कक्षा 8 तक की शिक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी अथवा क्षेत्रीय भाषा है और इसके बाद से गणित और विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम और सामाजिक विज्ञान के लिए हिन्दी माध्यम है।

विद्यालय सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से कक्षा 12 तक मान्यता कक्षा 6 से 12 तक सी0बी0एस0ई0 के पाठ्यक्रम के अनुसार नवोदय विद्यालय की भौति संचालित है।

प्रवेश क्षमता

विद्यालय में छात्र + छात्राओं की कुल 420 सीटें है सह शिक्षा के आधार पर प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र एवम् 30 छात्राओं को प्रवेश दिये जाने का प्राविधान है। शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 6 में 60 छात्र/छात्राओं को प्रवेशित किया जाना है।

सुविधायें

प्रवेश परीक्षा में चयनित छात्र/छात्राओं को प्रवेश के उपरान्त नवोदय विद्यालय की भौति आवासीय सुविधा के साथ-साथ भोजन, वस्त्र, पुस्तकालय, पाठ्य-पुस्तकें, विस्तर, क्रीडा, एवं दैनिक प्रयोगार्थ सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

उद्देश्य

1. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावन अनुसूचित जनजाति के बच्चों को सशक्त सांस्कृतिक तत्त्वपूर्ण एवं मूल परक शिक्षा, पर्यावरण के प्रति चेतना साहसिक क्रियाओं एवं शारीरिक शिक्षा के साथ-साथ श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त आधुनिक शिक्षा प्रदान करना।
2. यह सुनिश्चित करना कि छात्र तीन भाषाओं में तर्क संगत स्तर की दक्षता प्राप्त कर सकें।
3. विभिन्न सहगामी पाठ्य क्रियाकलापों द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को सुव्यवस्थित रूप से निखारना। आधुनिक शिक्षण तकनीक को अपनाना। हस्तशिल्प कौशल विकास एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता प्रदान करना। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना।

आवेदन के लिए पात्रता

1. उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
2. प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी का जन्म 01.04.2011 से पहले तथा 31.03.2014 के बाद का नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी की उम्र के सम्बन्ध में सन्देह होने पर उनके प्रवेश दिये जाने के समय मेडिकल बोर्ड से आयु की प्रमाणिकता हेतु जाँच कराई जायेगी और मेडिकल बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।
3. निर्धारित चयन परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी को सम्बन्धित जिले के किसी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/अन्य मान्यता प्राप्त/सर्व शिक्षा अभियान की योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले विद्यालय अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र सहित पूर्ण शैक्षिक सत्र 2023-24 के दौरान कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। सरकार अथवा सरकार की ओर से अधिकृत किसी एजेन्सी के द्वारा मान्यता घोषित विद्यालय को ही मान्यता प्राप्त माना जायेगा।
4. सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आने वाले विद्यालय को सरकार अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा प्रयोजित होना चाहिए।
5. ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत प्रवेश चाहने वाली अभ्यर्थी को किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 3, 4, 5 में प्रतिवर्ष एक पूर्ण शिक्षा सत्र में अवश्य पढ़ाई की हो एवम् उत्तीर्ण हुआ हो।
6. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पांचवी कक्षा में 30 सितम्बर 2023 से पहले प्रवेश नहीं लिया है वह आवेदन के लिए पात्र नहीं है।
7. अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में चयन परीक्षा में दूसरी बार बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
8. विशेष रूप से कमजोर जनजाति, विमुक्त जनजाति/खानाबदोश जनजाति/अर्द्धखानाबदोश जनजाति, जिन छात्रों के माता पिता कोविड में मृत हो गये हैं/विधवा के बच्चे, दिव्यांग अभिभावक के बच्चे/अनाथ बच्चे/सैनिक/अर्द्धसैनिक/विद्यालय को भूमि दान करने वाले अभिभावक के बच्चे आदि हेतु नेस्ट द्वारा प्रसारित गाइडलाइन के अनुसार सीटें आरक्षित की जाती हैं जिनके लिये आवेदक को प्रवेश के समय सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

1. शपथ पत्र

2. जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत

3. आय प्रमाण पत्र

4. निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत

5. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0) स्थायी शिक्षा संख्या(पेन नं0 सहित)

6. कक्षा 5 उत्तीर्ण परीक्षाफल

7. स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रदत्त)

8. आधार कार्ड

9. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण हेतु प्रमाण पत्र

विकलांग अभ्यर्थी के लिए जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण-पत्र

चयन तथा प्रवेश

छात्र/छात्राओं का चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरिष्ठता सूची के आधार पर चयनित होने के फलस्वरूप प्रवेश पाने हेतु अर्ह होगा। प्रवेश लेने के समय प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय चयन समिति द्वारा निर्धारित समय में वाँछित आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित समय में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न कर सकने की दशा में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची में चयनित छात्र/छात्राओ द्वारा कर ली जायेगी।

परीक्षा संरचना

चयन परीक्षा की अवधि 2 घण्टे की होगी इसके अर्न्तगत 5 विभिन्न विषयों से सम्बन्धित केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी तथा अधिकतम अंक 100 होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है।

क्रमांक	परीक्षा का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
1.	मानसिक योग्यता	50	50
2.	संख्यात्मक परीक्षण	25	25
3.	भाषा परीक्षण	25	25
	कुल	100	100

उत्तर अंकित करने की विधि

1. अभ्यर्थी को परीक्षा पुस्तिका के साथ अलग से एक उत्तर पत्रक दिया जायेगा। अभ्यर्थी को केवल उसी उत्तर पत्रक में ही अपनी उत्तर अंकित करने होंगे उत्तर पत्रक Optical Character Recognition (OCR) प्रकार का होगा जिसकी नमूना प्रति आगे संलग्न (अगले पृष्ठ पर) है।
2. उत्तर अंकित करने के लिए केवल नीले/काले बाल प्वाइंट पेन का ही प्रयोग करें। अभ्यर्थी अपना बालपेन अपने साथ लायें। पेन्सिल का प्रयोग वर्जित है।
3. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर A, B, C, D होंगे उसमें केवल एक ही उत्तर सही होगा। अभ्यर्थी को सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर को A, B, C, D से उत्तर पत्रक **ANSWER SHEET** पर अंकित करना होगा अन्य किसी विधि द्वारा दर्शाया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
उदाहरण के लिए उत्तर पुस्तिका **ANSWER SHEET** देखें।
4. एक बार अंकित उत्तर को किसी भी दशा में बदलने की अनुमति नहीं होगी। उत्तर पर उपरिलेखन, उत्तर को काटना या मिटाना वर्जित है।
5. प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक निर्धारित होगा।

उदाहरण –

01. प्रदूषित भोजन अथवा जल ग्रहण करने से होता है? 03. हमारी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है?
 (A) चैचक (B) तपेदिक (A) 60 प्रतिशत (B) 40 प्रतिशत
 (C) खसरा (D) पीलिया (C) 71 प्रतिशत (D) 50 प्रतिशत
 02. 'सुरसरि' का पर्यायवाची है ? 04. भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है।
 (A) गंगा (B) गोदावरी (A) दिल्ली (B) इलाहाबाद
 (C) यमुना (D) सरस्वती (C) कानपुर (D) आगरा

ENTRANCE EXAMINATION 2023-2024

Test
Booklet
Series

B

रोल नम्बर
(अंको में)

--	--	--	--	--	--	--	--

रोल नम्बर (शब्दों में)

दिनांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर
कक्ष निरीक्षक

निर्देश :

1. इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 100 प्रश्न हैं।
2. सभी प्रश्न करना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक सही उत्तर के लिये एक अंक प्रदान किया जायेगा।
4. परीक्षा में नकारात्मक मूल्यांकन नहीं है।
5. अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।
6. अभ्यर्थी को अपने निर्धारित स्थान पर बैठना अनिवार्य है।
7. प्रत्येक प्रश्न में नीचे चार विकल्प **A, B, C, D** दिये गये हैं, सही विकल्प को चुनकर **ANSWER SHEET** पर दिये गये प्रश्न के सामने बने बॉक्स में नीले अथवा काले पेन से भरें।
8. प्रश्न का सही उत्तर एक बार बॉक्स में भरने के बाद कटिंग/ओवर राइटिंग का प्रयोग न करे। ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

ANSWER SHEET

1	D	11		21		31		41		51		61		71		81		91	
2	A	12		22		32		42		52		62		72		82		92	
3	A	13		23		33		43		53		63		73		83		93	
4	A	14		24		34		44		54		64		74		84		94	
5		15		25		35		45		55		65		75		85		95	
6		16		26		36		46		56		66		76		86		96	
7		17		27		37		47		57		67		77		87		97	
8		18		28		38		48		58		68		78		88		98	
9		19		29		39		49		59		69		79		89		99	
10		20		30		40		50		60		70		80		90		100	

शपथ पत्र

(एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सौनहा, चन्दन चौकी, लखीमपुर-खीरी) सत्र 2024-25 में कक्षा.....में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के अभिभावक को रु0 10. के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित कराकर शपथ पत्र को प्रवेश के समय जमा करना होगा।)

मैं उम्र वर्ष, कु0/श्री छात्र-छात्रा.....
के माता/पिता/अभिभावक/सम्बंध.....निवासी ग्राम.....डाकघर.....
..... तहसील.....जिला..... शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि-

(क) मेरा पाल्य/पाल्या.....(पाल्य/पाल्या का नाम).....
..... (विद्यालय का नाम व पूरा पता)
उत्तर प्रदेश जो दिनांक..... से जनपद के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, का छात्र/छात्रा रहा है, उसने उस संस्था से सत्र में कक्षाकी परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(ख) मेरा पाल्य/पाल्या मेरे साथ निम्नांकित पते पर,जो जनपद के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में स्थित है, रहता है। यदि नहीं रहता है तो मैं अपने स्थान पर 1.
2.को मेरी अनुपस्थिति में मेरे पाल्य/पाल्य की देखरेख हेतु नामित करता/करती हूँ तथा विद्यालय से घर, तथा घर से विद्यालय आने का पूर्ण दायित्व मेरे द्वारा नामित उक्त अभिभावक का होगा।

(ग) यदि मेरा पाल्य/पाल्या विद्यालय के छात्रावास/कक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल/कीमती सामान/रुपया/आभूषण साथ लाता है तथा उक्त सामान के खो जाने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा/अभिभावक का होगा तथा विद्यालय प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगा/होगी।

(घ) मेरे पाल्य/पाल्या.....द्वारा विद्यालय के नियमों का उल्लंघन/अनुशासनहीनता/विद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने पर, अन्य गैर कानूनी कृत्य में लिप्त पाये जाने की दशा में विद्यालय प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगा/होगी।

(ङ) कि मेरे पाल्य/पाल्याको विद्यालय द्वारा प्रदत्त प्राथमिक चिकित्सा के उपरान्त भी स्वास्थ्य लाभ न होने पर सूचना के उपरान्त भी अभिभावक के उपस्थित न होने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व अभिभावक का होगा तथा विशेष परिस्थिति में विद्यालय प्रशासन द्वारा आपके पाल्य/पाल्या को हॉस्पिटल/घर पर पहुंचाने की दशा में वाहन /चिकित्सीय व्यय अभिभावक द्वारा देय होगा।

(च) मेरे पाल्य/पाल्या को अवकाश पर घर जाने हेतु मैं अथवा मेरे द्वारा नामित अभिभावक अपने आधार के साथ प्रार्थना पत्र बार्डन को देकर स्वयं की जिम्मेदारी पर ले जाना सुनिश्चित करूंगा/करूंगी।

(छ) विद्यालय में आहूत बैठक, विद्यालय द्वारा आकस्मिक रूप से सूचना मिलने पर अथवा अन्य कार्यो हेतु विद्यालय द्वारा आमंत्रित करने पर मैं अथवा मेरे द्वारा नामित अभिभावक विद्यालय में उपस्थित होगा/होगी।

(ज) मेरे पाल्य/पाल्या द्वारा अवकाश उपभोग के बाद लम्बे समयोपरांत यदि पाल्य/पाल्या विद्यालय उपस्थित नहीं होता है तो स्पष्ट कारण का उल्लेख करते हुये विद्यालय को सूचना देना सुनिश्चित करूंगा/करूंगी।

(झ) मेरे पाल्य/पाल्या के अवकाश अवधि में यदि कोई आकस्मिक घटना घटित होती है उसकी सूचना से तत्काल विद्यालय को अवगत कराऊंगा/कराऊंगी।

आज दिनांकमाह.....वर्ष.....सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र के तथ्यों से पूर्णतया सहमत हूँ तथा मैं विद्यालय प्रशासन के नियमों का अक्षरशः पालन करूंगा/करूंगी।।

स्थान.....

दिनांक.....

.....

(अभिभावक/शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

अभिभावक/शपथकर्ता का नाम

आवेदन-पत्र भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छठी कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र स्वतः स्पष्ट है। फिर भी विद्यार्थियों तथा उसके माता-पिता/अभिभावकों की सुविधा के लिए नीचे कुछ विशिष्ट दिशा-निर्देश दिये गये हैं जो आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान में रखे जायें।

1. कृपया विवरणिका तथा आवेदन-पत्र को ध्यान से पढ़ें। आवेदन-पत्र भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा भरी गयी **जन्म तिथि निर्धारित अवधि 01.04.2011 से 31.03.2014** में है, आप तीसरी, चौथी तथा पांचवी कक्षा में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय (सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त/सर्व शिक्षा अभियान या एन0आई0ओ0एस0 के प्राधिकृत केन्द्र) के विद्यार्थी रहे हैं।
2. **राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की प्रवेश गाइडलाइन में उल्लिखित आरक्षण अनुसार के अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र है।**
3. विद्यालय अभिलेख के अनुसार सही जन्मतिथि लिखें। अभ्यर्थी की जन्म तिथि विद्यालय के अभिलेख से समानता न पाये जाने पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
4. **नवीनतम पासपोर्ट आकार की 2 फोटो** (एक फोटो आवेदन-पत्र पर तथा दूसरी प्रवेश पत्र पर) चिपकायें। जिस विद्यालय में विद्यार्थी पांचवी कक्षा में पढ़ रहा हो उस विद्यालय के **प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित** फोटो। प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर तथा मुहर इस प्रकार से लगी होनी चाहिए कि इनकी छाप फोटो तथा आवेदन पत्र दोनों पर आ जाये। (नोट : केवल आवेदन फार्म पर ही फोटो प्रमाणित करायें)
5. आवेदन-पत्र केवल **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सौनहा, चन्दनचौकी लखीमपुर-खीरी** में व्यक्तिगत एवम् डाक द्वारा जमा किये जा सकते हैं। (नोट : डाक द्वारा आवेदन-पत्र जमा करने के लिए केवल रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट डाक का ही प्रयोग करें।)
6. विवरणिका में दी गयी सभी शर्तों आदि को पढ़ने के बाद अभ्यर्थी तथा उसके माता-पिता/अभिभावक दोनों को ही आवेदन-पत्र पर तिथि सहित हस्ताक्षर करने चाहिए।
7. यदि आवश्यक हो तो आवेदन-पत्र भरने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक (जहाँ विद्यार्थी कक्षा 5 में अध्ययनरत है।) की सहायता लें। आवेदन-पत्र में कोई भी त्रुटि/पूर्ण न होने की दशा में आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
8. विशेष रूप से कमजोर जनजाति, विमुक्त जनजाति/खानाबदोश जनजाति/अर्द्धखानाबदोश जनजाति, जिन छात्रों के माता पिता कोविड में मृत हो गये हैं/विधवा के बच्चे, दिव्यांग अभिभावक के बच्चे/अनाथ बच्चे/विद्यालय को भूमि दान करने वाले अभिभावक के बच्चे/सैनिक/अर्द्धसैनिक आदि हेतु सीटें आरक्षित की जाती हैं जिस हेतु आवेदक को प्रवेश के समय सम्बंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

सावधानी : यदि कोई भी कॉलम रिक्त अथवा प्रविष्टियां अपूर्ण है तो आवेदन पत्र अमान्य हो सकता है। आवेदक को प्रवेश हेतु आवश्यक योग्यता जैसे शिक्षा, आयु और विशिष्ट वर्ग जैसे (अनुसूचित जनजाति/विकलांगता और शहरी अथवा ग्रामीण जहां पर लागू होता है) के विशय में सुनिश्चित हो लेना चाहिए। अभ्यर्थी के चयन के बाद भी यदि किसी भी स्तर पर ऐसी तथ्य संज्ञान में आने पर कि आवेदन-पत्र में दी गयी सूचना गलत व कूटरचित है तो ऐसी दशा में गलत प्रमाण-पत्र/घोषणा/सूचना के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा लिये गये प्रवेश को निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश समिति ऐसे छात्र/छात्रा पर उसके विद्यालय में रहने की अवधि के दौरान किये गये पूरे खर्च को वसूल करने के लिए अधिकृत होगी। इस विषय में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, प्रधानाचार्य का निर्णय अन्तिम होगा जिसे अभ्यर्थी को मानना पड़ेगा और इस विषय में कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

सौनहा खीरी उत्तर प्रदेश

प्रवेश पत्र

रोल नं०

प्रवेश कक्षा

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में)

Candidate Name (In English)

अभ्यर्थी
अपना पासपोर्ट साइज
फोटो चिपकायें।
(सत्यापित न करायें)

नाम (हिन्दी में)

Name (In English)

4. (क) माता का नाम

(ख) पिता का नाम

3. जन्मतिथि : अंको में तिथि माह वर्ष शब्दों में

5.

(क) अस्थायी पता

दूरभाष नम्बर

(ख) स्थायी पता

दूरभाष नम्बर

जारी कर्ता के हस्ताक्षर

.....

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

सौनहा-खीरी

परीक्षा तिथि

समय

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा तिथि के दिन अभ्यर्थी निर्धारित समय से आधा घण्टा पूर्व पर विद्यालय में उपस्थित हो।
2. उत्तर पुस्तिका पर नीले अथवा काले बाल पेन का ही प्रयोग करें।
3. अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

सौनहा खीरी उत्तर प्रदेश

सत्र 20 -20

रोल नं०

आवेदन पत्र

कक्षा

पासपोर्ट आकार का
फोटो चिपकाये
जो उस विद्यालय (जहाँ
वह कक्षा 5 में पढ़ा
रहा/रही है) के
प्रधानाचार्य से
सत्यापित

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में)

Candidate Name (In English)

2. उचित खाने में (✓) का चिह्न लगायें।

(क) लिंग लड़का लड़की

(ख) ग्रामीण शहरी

3. आरक्षित वर्ग के उचित खाने में (✓) का चिह्न लगायें।

(ग) विकलांगता शारीरिक विगलांगता दृष्टिकोण की विगलांगता श्रवण शक्ति की विकलांगता

(घ) कोविड में मृत माता-पिता विधवा के बच्चे दिव्यांग अभिभावक के बच्चे

(ङ) अनाथ बच्चे विमुक्त जनजाति खानाबदोश/अर्द्ध खानाबदोश जनजाति

(द) सैनिक/अर्द्ध सैनिक बल अन्य

4. जन्मतिथि : अंको में तिथि माह वर्ष शब्दों में

5. आधार संख्या 6. पेन संख्या (PEN)

ई-मेल आईडी

नाम (हिन्दी में)

Name (In English)

7. (क) माता का नाम

(ख) पिता का नाम

(ग) यदि पिता/माता संरक्षक नहीं है तो संरक्षक
का नाम और उसके साथ उसका सम्बन्ध

(घ) अभ्यर्थी से सम्बन्ध

8.

(क) अस्थायी पता
.....
.....
दूरभाष नम्बर

(ख) स्थायी पता
.....
.....
आधार कार्ड नम्बर

9. राष्ट्रीयता

7. धर्म (जाति)

10. विद्यालय (विद्यालयों) का नाम जहां से अभ्यर्थी ने कक्षा 3 तथा 4 उत्तीर्ण की है और कक्षा 5 में पढ़ रहा है। सभी प्रविष्टियाँ अवश्य भरी जायें।

कक्षाएं		कक्षा 3	कक्षा 4	कक्षा 5
(क)	1. विद्यालय का नाम			
	2. विद्यालय की श्रेणी (मान्यता प्राप्त/नहीं)			
(ख)	1. प्रवेश लेने का माह तथा वर्ष			
	2. उत्तीर्ण होने का माह तथा वर्ष			
(ग)	गांव तथा कस्बे का नाम (जहां पर विद्यालय स्थित है)			
(घ)	खण्ड का नाम			
(ङ)	जिले का नाम			
(च)	विद्यालय की अवस्थिति (ग्रामीण तथा शहरी लिखें)			

11. (क) कक्षा 3, 4 और 5 के सभी शैक्षिक सत्रों में उसने ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की हो/ग्रहण कर रहा हो/रही हो, यदि अभ्यर्थी ने 1 दिन भी शहरी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की हो तो उसे शहरी छात्र माना जायेगा।
 (ख) उसने अपनी शिक्षा सर्वशिक्षा अभियान अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय संस्थान के प्राधिकृत केन्द्र से प्राप्त की हो और वह इन केन्द्र से प्राप्त की हो और वह इन केन्द्रों से अलग ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहा/रही हो यदि ये केन्द्र शहरी क्षेत्र में अवस्थित है।

— अभ्यर्थी/पिता/अभिभावक का घोषणा पत्र —

मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास में सत्य है। मैं जानता हूँ कि यदि मेरा पाल्य/पाल्या एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में प्रवेश के योग्य चुन लिया जाता है तो प्रवेश के योग्य तभी होगा जब उपरोक्त सभी प्रपत्र प्रवेश के समय उपलब्ध करायेगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे पाल्य/पाल्या द्वारा विद्यालय के समस्त नियमों का पालन किया जायेगा। मेरे पाल्य/पाल्या द्वारा शासकीय सामानों की क्षति होने पर उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अभिभावक (माता/पिता) के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम

अभिभावक का नाम (माता/पिता)

स्थान.....

दिनांक.....

— विद्यालय के प्रधानाचार्य का प्रमाण-पत्र —

(जहाँ विद्यार्थी कक्षा-5 में पढ़ रहा है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मा0/कुमारी
 पुत्र/पुत्री.....अध्ययनरत है, का विवरण स्कूल अभिलेख के अनुसार सही है।

प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर एवम् मुहर

स्थान

दिनांक

— कार्यालय के उपयोग हेतु —

जॉचकर्ता का नाम :

हस्ताक्षर :

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य
 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
 सौनहा-खीरी

- समस्त एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सौनहा, बोझिया, पिपरसंड, बानपुर उत्तर प्रदेश
- राजकीय आश्रम पद्धति बालिका इण्टर कालेज चन्दन चौकी, लखीमपुर-खीरी
- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बेलापरसुआ, लखीमपुर-खीरी
- राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज छाउछ, लखीमपुर-खीरी
- राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज बालापुर, जरवा, बलरामपुर
- राजकीय आश्रम पद्धति बालिका इण्टर कालेज बि जुनपुर विश्राम, पचपेड़वा, बलरामपुर
- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बिछिया, बहराइच
- राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज कठकुईया, श्रावस्ती
- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय नौतनवॉ, महाराजगंज
- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय नजीमाबाद-बिजनौर

० ०
 ३०५० अनुसूचित जनजाति
 शैक्षिक एवं आर्थिक
 विकास समिति
 द्वारा
 संचालित
 पूरे उत्तर प्रदेश में
 सभी
 एकलव्य विद्यालयों एवं
 जनजाति
 राजकीय आश्रम पद्धति
 विद्यालयों पर
 निःशुल्क प्रवेश फार्म
 उपलब्ध
 है ।

नोट : आवेदन पत्र केवल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सौनहा, लखीमपुर-खीरी कार्यालय में दिनांक 15 मार्च 2024 तक जमा किये जायेगे।

डाक द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तिथि :15.03.2024

Entrance Exam 2024-25
 Eklavya
 Model Residential School

Saunaha, Chandan Chowki, Lakhimpur - Kheri